

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

प्रेषक,

विनोद कुमार झा,  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-सह-विशेष कार्य पदाधिकारी  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

विषय :-

मुख्य शीर्ष 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ-090-सचिवालय-0017-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मांग सं0 40 विपत्र कोड एन0 2052000900017 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 3,43,19,000/- (तीन करोड़ तेतालीस लाख उन्नीस हजार) रूपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वेतनआदि एवं अन्य मदों में उपबंधित राशि में से लेखानुदान द्वारा उपलब्ध राशि 33.33 प्रतिशत की सीमा अन्तर्गत, हजार के गुणक में 33 प्रतिशत कुल रूपये 3,43,19,000/- (तीन करोड़ तेतालीस लाख उन्नीस हजार) रूपये मात्र निम्न रूप से राशि आवंटित की जाती है :-

विषय शीर्ष	इकाई का नाम	बजट उपबंध	लेखानुदान द्वारा उपलब्ध राशि 33.33 प्रतिशत	आवंटित राशि हजार के गुणक में (33 प्रतिशत)	शेष राशि
0101	वेतन	38898000	12964703.4	12836000	26062000
0102	विशेष वेतन	18000	5999.4	5000	13000
0103	जीवन यापन भत्ता	45899000	15298136.7	15146000	30753000
0104	मकान किराया भत्ता	7589000	2529413.7	2504000	5085000
0105	परिवहन भत्ता	1221000	406959.3	402000	819000
0106	चिकित्सा भत्ता	298000	99323.4	98000	200000
0107	अन्य भत्ता	36000	11998.8	11000	25000
	<b>योग - वेतन एवं अन्य भत्ते</b>	<b>93959000</b>	<b>31316534.7</b>	<b>31002000</b>	<b>62957000</b>
0601	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	700000	233310	231000	469000
1101	यात्रा व्यय	700000	233310	231000	469000
1301	कार्यालय व्यय	2500000	833250	825000	1675000
1302	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	1500000	499950	495000	1005000
1303	दूरभाष	200000	66660	66000	134000
1305	विधि प्रभार	50000	16665	16000	34000
1306	वर्दी / पोशाक	180000	59994	59000	121000
2001	आतिथ्य व्यय	50000	16665	16000	34000
2801	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ	4176000	1391860.8	1378000	2798000
	<b>कुल योग</b>	<b>104015000</b>	<b>34668199.5</b>	<b>34319000</b>	<b>69696000</b>

(तीन करोड़ तेतालीस लाख उन्नीस हजार रूपये मात्र)

2. राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में की जायगी।
3. राशि की निकासी के समय विपत्र पर इकाई का कोड, मांग संख्या एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।
4. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561वि(2) दिनांक-17.04.1998 एवं 295/वि0 दिनांक-24.03.2015 के आलोक में किया जा रहा है।
5. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वेतन एवं भत्ते मद में उपबंधित राशि में से लेखा अनुदान द्वारा उपलब्ध राशि एक तिहाई की सीमा के अधीन है। वर्ष 2014-15 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान 2015-16 के बजटीय उपबंध/आवंटन के संबंधित शीर्ष/विषयशीर्ष में प्रावधानित राशि से किया जा सकता है।
6. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ शीघ्र भेज दी जाय।
7. इसकी सूचना महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह0/ -  
(विनोद कुमार झा),  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-...../रा0, पटना-15, दिनांक-.....  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
(विनोद कुमार झा),  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-...../रा0, पटना-15, दिनांक-.....  
प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (बजट), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/विभागीय प्रशाखा-1 एवं प्रशाखा-2 (लेखा) को दो प्रतियों में तथा प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
(विनोद कुमार झा),  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-...../04 5)...../रा0, पटना-15, दिनांक-20-04-15  
प्रतिलिपि :- विभागीय आई0 टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार झा),  
सरकार के अपर सचिव।

16.4